मुस्लिम नारी तीन तलाक पर भारी

Dr. Tabassum Khan*

Head of Hindi Department, Hindi Department, Shri Satya Sai Technology and Medical Sciences, University, Sehore, Madhya Pradesh

सार – नारी मानव संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंश हैं एक स्त्री के कई रूप होते हैं। मां, बहन बेटी भारतीय संस्कृति अथवा साहित्य में उसे इस रूप में देखा, सुना गया है। यत्रृ नर्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता जहां नारी का सम्मान होता है वह सुख और समृद्धि का वास होता है।

आज का उत्तर आधुनिक समाज बहुत आगे निकल चुका है फिर भी न जाने क्यों कुछ असामाजिक तथ्व हमारे समाज में मौजूद है। आज के समाज ने उन लोगों को चुना है जिनका मन साफ होता है चाहे वह लड़िक्यां हो या फिर हाउस बाईफ उनका मन शीशे की तरह साफ होता है। एक नये खिले फूल की कली जितनी

कोमल और नाजुक होती है।

आज के समय में भारतीय नारी हर क्षेत्र में आगे है। हमारे देश की पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रतिभा पाटिल, सोनिया गांधी, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, सुनीता विलियम्स, किरण बेदी आज के संदर्भ में नारी के बदलते सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के चलते पहले की अपेक्षा बहुत सी सहुलियतें मिली है। इसकी ही उन्हें मुक्त मान लिया है। जब हम मॉडल हिरोईन और अन्य पेशी में बढती हुई स्त्री को देखते है तो ये मान लेते है कि स्त्रियां आजाद हो गई है। क्या वाकई वे आजाद हो गई है, क्या उसकी समस्याओं का अंत हो गया है? उन्हें वे सभी अधिकार मिल गये है जिनके लिए वे लड़ रही हैं? स्त्री की पहचान उसका जीवन सब कुछ इस व्यवस्था में चाहे किसी भी धर्म में हो पुरूष ही निर्धारित करता है। उसकी स्वतंत्रता और असतित्व को भारतीय समाज स्वीकार नहीं करता।

अक्सर मुस्लिम औरत का नाम आते हुए घर की चारदीवारी में बंद या परदे में रहने वाली स्त्री का चेहरा सामने उभर कर आता है। समय के साथ-साथ मुस्लिम समाज में स्त्रियों के रहन-सहन, पहनावा और बुर्क में भी परिवर्तन आ रहे है।

सिंदियों से सांस लेती औरत ने अपनी आजादी के आसमान की तमन्ना की तो सबसे पहली जंग उसे अपने धर्म से लड़ने पड़ी। धर्म की हैसियत किसी तलवार जैसी है जो औरत के सिर पर वर्षों से लटक रही है। औरत इस तलवार के विरूद्ध जाती है तो वे अवज्ञाकारी, विरोधी तो कभी बे-हयां और वैश्या भी ठहरा ली जाती है।

इस्लाम में औरत को जो अधिकार और स्थान प्राप्त है वह बहुत महत्वपूर्ण है। इस्लाम में उदय से पहले अरब में स्त्री, पुरूष की चल संपत्ति समझी जाती थी। तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों में इस्लाम का अभ्युदय क्रांतिकारी रूप में हुआ था।

कुरआन में कहा गया है कि कर्म या इबादत चाहे पुरूष करें या स्त्री दोनों को उनके कार्यों को बराबर का फल दिया जायेगा। इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार यदि कोई स्त्री अक्लमंद तहजीब, इल्म, परहेजगारी और ऐसे ही बहुत से गुणों की मालिक है तो वह साधारण पुरूष से अधिक ऊंचा स्थान रखती है। लेकिन शरीयत का पालन करने वाले कुछ मौलवियों ने अपने स्वार्थ के लिए हर बार धर्म की हिफाजत की आड़ लेकर औरत को अपने पैरों की जूती बनाने की कोशिश की है। जहां धर्म की बेड़ियां तोड़कर औरत जब चीखी तो उसकी चीख से आसमान में भी सुराख पैदा हो गया। पुरूष सत्तात्मक समाज को डर महसूस होने लगा वो जब आजादी का ऐलान करती है तो बेरहम से बेरहम मर्दों से भी हजारों गुना आगे बढ़ जाती है। बे-हयाई पर उतरी है तो मर्द उसे देखते रह जाते है।

वर्तमान समाज में स्त्रियों ने सदियों की खामोशी तोड़ी है। अपने व्यक्तिगत जीवन का उद्देश्य दर्शन उसका मन मिजाज सभी बदल रहा है। अपनी अस्मिता, आत्मचेतना और अस्तित्व बोध के प्रति चेतना संपन्न और जागृत हो रही है। जीवन के हर क्षेत्र में मुस्लिम महिलाएं अपना स्थान सुरक्षित कर रही है। चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे विज्ञान का हो, खेलकूद का हो या मनोरंजन का राजनीतिक हो या फिर प्रशासन का हर क्षेत्र. में मुस्लिम महिलाओं के कुछ हद तक देखा जा सकता है। कुछ समृद्व व आधुनिक परिवारों की लड़िकयां अब फैशन, मॉडल और विज्ञान प्रसारित भी है। लेकिन यह प्रगति अधिकतर उच्च और उच्च मध्यवर्ग तक ही सीमित है। मध्यवर्गीय लड़िकयां आज भी संघर्षरत् हैं।

उनका घर से निकलना दूभर है किन्तु ये जो तीन तलाक वाली बात है वो सरासर गलत है। यदि बीवी का शौहर जेल चला गया तो उसे कौन खर्चा देगा। उसका भरण पोषण कैसे होगा। मजहबी बातों पर राजनीतिक हस्तक्षेप गलत हैं। जब निकाह में वकील, गवाह मेहर सब कुछ होता है और तलाक के समय में सब लोग होते है। तीन तलाक ही गुनाहे अज़ीम हैं। तलाक आसान नहीं है इसमें हस्तक्षेप गलत है।

अतः मज़हबी बातों को दायरे में रखा जायें। तीन तलाक का विरोध वह औरते करती है जो अपने शौहर और ससुराल की हितैषी नहीं होती वे पराये रिश्तों को अहमियत देकर अपने जातीय रिश्तों को धोखा देती है और अपना मज़ाक बनवा लेती हैं। तलाक विषम परिस्थितियों में होता है। सब परिस्थितियां तो अनूकूल हैं।

अतः मेरी नजर में मुझ जैसी नारी तीन तलाक पर भारी हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

- 1. हिन्दी साहित्य का इतिहास राजनाथ शर्मा
- 2. हिन्दी साहित्य का इतिहास डॉ. नगेन्द्र
- 3. हिन्दी साहित्य का स्वरूप

Corresponding Author

Dr. Tabassum Khan*

Head of Hindi Department, Hindi Department, Shri Satya Sai Technology and Medical Sciences, University, Sehore, Madhya Pradesh